विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय समिम्लित है। अध्याय एक में राज्य की सरकारी कम्पनियों एवं राज्य के सांविधिक निगमों के कार्यकलाप सम्मिलित है। अध्याय दो में तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं (i) मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन (ii) मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड़ के कार्यकलाप और (iii) मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकलाप समिम्लित है। अध्याय तीन में वर्ष 2015–16 के दौरान सरकारी कम्पनियों और संविधिक निगमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयीं 15 लेखापरीक्षा कंडिकाएं सम्मिलित है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष का मौद्रिक प्रभाव ₹ 831.56 करोड़ है।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अनुसार अधिशासित होती है। 31 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश राज्य में 64 सरकारी कम्पनियाँ (नौ अकार्यशील कम्पनियाँ शामिल) करते हुए एवं तीन सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थे। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षको द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपुरक लेखापरीक्षा सी.ए.जी. द्वारा सम्पन्न की जाती है। सांविधिक निगमो की लेखापरीक्षा उनसे सबंधित विधानो द्वारा नियंत्रित होती है। 30 सितंबर 2016 तक इन कम्पनियों ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 78315.94 करोड़ का आवर्त दर्ज किया और 31 मार्च 2016 को इनमे 63,459 कर्मचारी नियोजित थे।

(कंडिका 1.1, 1.2 और 1.3)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में विनियोग

31 मार्च 2016 को 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (3 सांविधिक निगमो को शामिल करते हुए) मे विनियोग (पूंजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 69,754.35 करोड़ था। इसमे वर्ष 2011–12 में ₹ 33511.25 करोड़ से 108.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, कुल विनियोग का 30.24 प्रतिशत पूँजी एवं 69.76 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण में विनियोजित था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का जोर मुख्यतः उर्जा के क्षेत्र में था, यह वर्ष 2011–12 में ₹ 30239.74 करोड़ से बढकर वर्ष 2015–16 में ₹ 60,496.51 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 9,908 करोड़ समता, ऋण एवं अनुदान/ उपदानो के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रो के उपक्रमों में अंशदान किया।

(कंडिका 1.6, 1.7 और 1.8)

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

सितम्बर 2016 को 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 79 लेखे बकाया थे। बकायों को समाप्त करने के लिये लेखों को तैयार करने से संबधित कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.10)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

अघतन अन्तिमीकृत लेखो के अनुसार, कुल 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (तीन सांविधिक निगमो को शामिल करते हुए) में से 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल ₹ 729.34 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 5,321.92 करोड़ की हानि वहन की। पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किये एवं शेष एक कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अपने प्रथम लेखों का अंतिमीकरण नही किया। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2,766.08 करोड़), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1207.01 करोड़) तथा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1161.58 करोड़) भारी नुकसान वहन करने वाली कम्पनियाँ रही।

(कंडिका 1.16)

लेखो पर टिप्पणियाँ

अक्टूबर 2015 से सितंबर 2016 के दौरान कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अन्तिमीकृत किये गए 56 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा 32 लेखों में अमर्यादित प्रमाणपत्र एवं 24 लेखो पर मर्यादित प्रमाणपत्र दिये गये। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षको का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं सी.ए.जी. की अनुपूरक लेखापरीक्षा यह दर्शाता है कि लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.21 और 1.22)

2 सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को लगातार 24 घंटें विद्युत प्रदाय करने एवं कृषि पम्पों को न्यूनतम आठ घंटे विद्युत प्रदाय करने तथा वितरण प्रणाली के पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने अप्रैल 2010 मे फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम (कार्यक्रम) की शुरूआत की। मध्य प्रदेश विधानसभा ने राज्य के सर्वांगीण एवं समग्र विकास के लिये, 'संकल्प–2013' नामक प्रस्ताव पारित (14 मई 2010) किया। संकल्प 2013 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2013 से घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार 24 घंटे तथा कृषि पम्पों को आठ घंटे विद्युत प्रदाय करने की परिकल्पना की। कार्यक्रम के कार्यों को दो चरणों मे विभक्त किया गया। प्रथम चरण के कार्यों को अगस्त 2012 तक पूर्ण किया जाना था तथा द्वितीय चरण के कार्यो को मई 2013 तक पूर्ण किया जाना था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) में सम्पन्न किये गये कार्यक्रम के कार्यों की संस्वीकृति (2010–11) से लेकर उनके क्रियान्वयन (2015–16) की अवधि को समाहित किया गया।

कार्यक्रम की आयोजना, वित्तीय प्रबन्ध, क्रियान्वयन तथा निगरानी और नियंत्रण को समाहित करते हुए कार्यक्रम के सम्पूर्ण क्रियान्वयन की समीक्षा करने पर निम्नलिखित कमियाँ परिलक्षित हुईः

• कम्पनी ने ठेकों की निर्धारित पूर्णता अवधि के अंदर कार्य के प्रमुख घटकों को पूर्ण नही किया। ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मात्रा के सापेक्ष मई 2013 तक 56.90 प्रतिशत और 74.83 प्रतिशत की सीमा के मध्य शेष कार्य तथा जून 2016 तक 10.99 प्रतिशत तथा 15.15 प्रतिशत की सीमा के मध्य शेष कार्यो को सम्पादित किया जाना था। परिणामस्वरूप कम्पनी 'संकल्प 2013' के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2013 से लगातार 24 घंटे विद्युत प्रदाय करने की मध्य प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता को पूर्ण नही कर सकी। कम्पनी कुल 13 वृत्तों मे से चार वृत्तों में पारेषण एवं वितरण हानियों को कार्यक्रम के अंतर्गत परिलक्षित लक्ष्यों तक घटाने में भी असफल रही।

(कंड़िका 2.1.7)

• कम्पनी ने ठेके की विशेष शर्तों मे परिवर्तन करके दोषी ठेकेदारों के जोखिम एवं लागत दायित्व को ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप समाप्त किये गये ठेकों में शेष बचे हुये कार्यो को पूरा करने के लिये आने वाली ₹ 11.94 करोड़ की अतिरिक्त लागत को कम्पनी को स्वयं वहन करना पडा।

(कंड़िका 2.1.10)

• 10 लॉटो मे कुल 108 फीडरों के सापेक्ष किये गये संयुक्त भौतिक सत्यापन मे से 100 फीडरों (कुल फीडरों का 92.59 प्रतिशत) में फीडर स्तर पर पारेषण एवं वितरण हानियाँ कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित पारेषण एवं वितरण हानियों की फीडर स्तर पर 12 प्रतिशत की सीमा की तुलना मे अधिक थी। आगे, कुल 13 वृत्तों मे से चार वृत्तों मे पारेषण एवं वितरण हानियों को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) के समक्ष प्रतिबद्ध किये गये स्तर तक नहीं लाया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को वर्ष 2015–16 के दौरान अतिरिक्त पारेषण एवं वितरण हानियों के रूप में ₹ 9.38 करोड़ की हानि हुई।

(कंड़िका 2.1.25)

• कम्पनी ने वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों को क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर तैयार नहीं किया जिसके कारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान कार्य की व्यापक मदों की मात्राओं में अधिक भिन्नता पाई गई। परिणामस्वरूप, वृहत्त परियोजना प्रतिवेदनों मे दर्शाई गई कार्य की अधिक मात्राओं के आधार पर कम्पनी ने ₹ 238.80 करोड़ के अतिरिक्त ऋण की स्वीकृति प्राप्त की जिसके कारण कम्पनी को ₹ 9.55 करोड के गारण्टी फीस तथा ₹ 23 लाख के प्रतिबद्धता प्रभार का परिहार्य खर्च करना पड़ा।

(कंड़िका 2.1.9)

• कम्पनी नें, कार्यक्रम के अंतर्गत ठेके प्रदान करने से पहले भूमि की उपलब्धता आश्वस्त नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप नौ सबस्टेशनों का कार्य तीन माह से 34 माह विलम्ब से पूर्ण किया गया तथा तीन सबस्टेशनों का कार्य जून 2016 तक अपूर्ण था।

(कंड़िका 2.1.22)

• कार्यक्रम के द्वितीय चरण के कार्यों को निष्पादित करने के लिये मध्य प्रदेश शासन ने ₹ 239.47 करोड़ की धनराशि समता अंश पूँजी के रूप में कम्पनी को स्वीकृत की। जिसमें से कम्पनी ने ₹ 173.63 करोड़ की धनराशि प्रथम चरण के कार्यों हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान तथा मूलधन के पुनर्भुगतान पर खर्च कर दिया जो कि मध्य

प्रदेश शासन द्वारा अनुमत नही थे। इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के विरूद्ध कार्यक्रम के लिये उपलब्ध कराई गई धनराशि को अनभिप्रत कार्यों पर खर्च किया गया।

(कंड़िका 2.1.17)

- कम्पनी ने मोबिलाइजेशन व सामग्री अग्रिम की असमायोजित राशि पर ब्याज लगाने के लिये गलत विधि को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप मोबिलाइजेशन अग्रिम तथा सामग्री अग्रिम पर ब्याज क्रमशः ₹ 11.06 करोड़ तथा ₹ 13.92 करोड़ की कम वसूली की गई।

(कंड़िका 2.1.15)

- ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को परिसम्पत्तियों का मानचित्रण तथा उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध करने का कार्य करना था तथा इनसे सम्बन्धित समस्त ऑकड़ों को सीवाईएमडीआईएसटी साफ्टवेयर के सुसंगत प्रारूप में उपलब्ध कराना था। ठेकेदारों द्वारा कम्पनी को इन जानकारियों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य कम्पनी को वितरण तंत्र पर सिमूलेशन तथा 'व्हॉट इफ' विश्लेषण करने हेतु सक्षम बनाना था। हालांकि कम्पनी ने इन जानकारियों को आवश्यक प्रारूपों में प्राप्त किये बिना ही 10 लॉटो का समापन प्रमाणपत्र जारी कर दिया। जिसके कारण कम्पनी वितरण तंत्र पर उचित लोड प्रबन्धन को आश्वस्त करने से वंचित हो गई।

(कंड़िका 2.1.20)

- ठेके को शर्तों के अनुसार, कम्पनी द्वारा परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले ठेकेदारों को पूर्ण किये गये कार्यों की क्रियाशीलता गारण्टी परीक्षण का कार्य सम्पन्न करना था तथा पारेषण एवं वितरण हानियों को फीडर स्तर पर 12 प्रतिशत तक लाना था। कम्पनी ने कुल 1184 फीडरों के लिये परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किये जिसमे से 632 फीडरों, जिनका प्रतिनिधित्व 53.38 प्रतिशत था, का परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र ठेकेदारों से हानियों का प्रदर्शन कराये बिना ही जारी कर दिये गये। इस प्रकार कार्यक्रम के अंतर्गत पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के निर्धारित उद्देश्य की अवहेलना करते हुये कम्पनी ने फीडरों की परिचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करने तथा कार्यों कों समाप्त करनें पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

(कंड़िका 2.1.23)

- 10 लॉटो में से आठ में जिनमें संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था 701 सामग्री नमूनों को गुणवत्ता जाँच हेतु विभिन्न एन.ए.बी.एल. प्रयोगशालाओं में भेजा गया था जिसमें से 340 नमूनो (भेजे गये नमूनों का 49.07 प्रतिशत) के परीक्षण प्रतिवेदन जून 2016 तक अप्राप्त थे। अतः वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान खरीदी गई ₹ 90.08 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ जिनमें से इन नमूनों का चयन किया गया था गुणवत्ता की जाँच कराये बिना ही रह गई थी।

(कंड़िका 2.1.33)

- ठेकेदार की वित्तीय स्थिति को बैंक स्रोतों से सुनिश्चित किये बिना ही कम्पनी ने ठेके के समापन को रद्द कर दिया तथा उसके पश्चात ठेकेदार कार्यो को पूर्ण करने मे असफल रहा। परिणामस्वरूप कम्पनी घटे हुए पारेषण एवं वितरण हानियों के परिणामतः होनें वाले ₹ 12.41 करोड़ के परिकल्पित लाभ को प्राप्त करने से वंचित रही। आगे कार्य पूर्ण करने मे ठेकेदारों को लगातार असफलता के बावजूद कम्पनी ने दो लॉटो के

ठेको को समाप्त करने मे देरी की जिसके कारण कम्पनी घटे हुये पारेषण एवं वितरण हानियों के रूप में ₹ 29.65 करोड़ के परिकल्पित लाभ को प्राप्त करने से वंचित रही।

(कंड़िकाएँ 2.1.26 तथा 2.1.27)

2.2 मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड़ के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड़ (कम्पनी) कि स्थापना नवम्बर 1983 में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में की गयी थी। कम्पनी का उद्देश्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), आई.टी. संवर्धित सेवाएँ तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का प्रोत्साहन एवं विकास करना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2011–12 से 2015–16 हेतु कम्पनी के विविध पहलुओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन, आई.टी. नीति के अंतर्गत भूमि आवंटन तथा प्रोत्साहनों का नियमन, भारत सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न आई.टी. योजनाओं के क्रियान्वयन का आंकलन करने के लिये की गयी थी। साथ ही वित्तीय प्रंबधन, संविदा प्रंबधन तथा निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण की भी समीक्षा की गयी थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित थेः

- कम्पनी भोपाल इंदौर तथा जबलपुर के आई.टी. पार्क हेतु चिन्हित की गयी 250.25 एकड भूमि में से मार्च 2016 तक 92.32 एकड़ भूमि ही आवंटित कर पायी। कम आवंटन का मुख्य कारण विकास कार्यो की धीमी गति था। अतः कम्पनी आई.टी. नीति में निहित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही।

(कंडिका 2.2.16)

- कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय ई–गर्वनेंस योजना के अंतर्गत स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) योजना का कार्यान्वयन लिया गया था। योजना के अंतर्गत कम्पनी द्वारा 5,159 जगहों पर होरिजोंटल कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई गयी जबकि योजनानुसार 33,000 जगहों पर उपलब्ध कराना था। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के अंतर्गत उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.2.20 से 2.2.22)

- कम्पनी द्वारा कामन सर्विस सेंटर स्कीम के अंतर्गत 9,232 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की गयी थी। किन्तु ग्राम पंचायत कर्यालयों में कोई भी सीएससी स्थापित नहीं किया गया जैसा कि योजना में परिकल्पित था। जबकि 31 मार्च 2016 तक मात्र 3,499 सीएससी ही चलन में थे। न्यून निष्पादन के मुख्य कारण आई.टी. आधारभूत ढ़ांचे के उपलब्धता की कमी तथा इन्टरनेट सुविधा की कमी होना था।

(कंडिका 2.2.24)

- कम्पनी द्वारा एक आई.टी. इकाई को 10.13 हेक्टेयर भूमि आंवटित की गयी। भूमि का आंवटन कलेक्टर के विद्यमान दिशानिर्देशों के 25 प्रतिशत की दर पर ₹ 3.34 करोड़ में आवंटन किया जाना था। जबकि आई.टी. ईकाई को भूमि का आवंटन अतिरिक्त छूट देते हुए ₹ 2.23 करोड़ में किया गया, जिसके कारण मध्य प्रदेश शासन को ₹ 1.11 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(कंड़िका 2.2.15)

- 36 सीएससी के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि मात्र 15 सीएससी ही चलन में थे। 11 सीएससी अस्तिव में नही पाये गये, 4 सीएससी स्वामीयों द्वारा गतिविधियॉ बंद कर दी गयी, तथा 6 सीएससी शहरी क्षेत्र में चलते हुए पाये गये। आगे 10 सीएससी जगहो पर 24 लाभान्वित हितग्राहियों के सर्वे में पाया गया कि इनमें सरकारी सेवाऍ नही मिल पा रही थी। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आई.टी. के माध्यम से सरकारी सेवाएँ उपलब्ध करवाने का वांछित उदेश्य प्राप्त नही किया जा सका।

(कंड़िका 2.2.26)

- कम्पनी द्वारा ₹ 4.83 करोड़ (योजना लागत का 2.77 प्रतिशत) स्वान परियोजना में तथा ₹ 4.34 करोड़ (राजस्व सहायता का 35 प्रतिशत) सीएससी योजना में वर्ष 2014–15 तक प्रशासनिक व्यय के रूप में भारित किये गये। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक व्यय ₹ 1.74 करोड़ तथा ₹ 49 लाख ही मान्य था। इसके परिणामस्वरूप स्वान परियोजना में ₹ 3.09 करोड़ तथा सीएससी योजना में ₹ 3.85 प्रशासनिक व्यय के रूप में अधिक भारित किये गयें।

(कंड़िका 2.2.39)

- कम्पनी द्वारा सर्विस सेन्टर एजेन्सी को राजस्व सहायता के रूप में ₹ 8.08 करोड़ स्व प्रमाणन के आधार पर जारी किये गये। तथापि राजस्व सहायता जारी करने के पूर्व भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप ऑनलाईन निगरानी यंत्र की स्थापना सुनिश्चित नही की गयी।

(कंड़िका 2.2.25)

- मध्य प्रदेश शासन ने लाभान्वित उपयोगकर्ता विभागों से स्टेट डाटा सेन्टर के अंतगर्त उपयोग शुल्क वसूल करने हेतु कम्पनी को निर्देशित (जून 2011) किया। तथापि कम्पनी स्टेट डाटा सेन्टर की सुविधाओं का उपयोग करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं मण्डलों पर ₹ 1.23 करोड़ (नवम्बर 2013 से मार्च 2016) उपयोग शुल्क के रूप में आरोपित तथा वसूली नहीं कर सकी।

(कंड़िका 2.2.28)

- कम्पनी द्वारा ग्वालियर में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया गया। किन्तु कम्पनी 90,000 वर्गफीट निर्माण क्षेत्रफल के विरूद्ध मात्र 10,200 वर्गफीट ही किराये पर दे सकी। यह परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व ग्वालियर में आई टी उद्योग हेतु व्यावसायिक क्षमता का निर्धारण करने में कम्पनी की विफलता के कारण था ।

(कड़िका 2.2.32)

- कम्पनी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं गतिविधियों को दिशा देने के लिये कोई लम्बी अवधि तथा रणनीति संबंधी योजना नही बनाई। लम्बी अवधि तथा रणनीति संबंधी योजना प्रक्रिया के अभाव में कम्पनी के व्यवसाय तथा विकासात्मक उद्देश्यों के संचालन के लिये दिशानिर्देशों की कमी थी।

(कंड़िका 2.2.8)

- आंतरिक निरीक्षण तंत्र कमजोर था क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया गया कार्यक्षेत्र व्यापक नही था साथ ही कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता सुनिश्चत करने हेतु आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से विश्लेषण नही किया। आगे यह कि आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में कम्पनी की मुख्य चालन गतिविधियों को भी शामिल नही किया गया तथा इन प्रतिवेदनों में शामिल कंड़िकाए सामान्य प्रकृति की थी।

(कंड़िका 2.2.47)

2.3 मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकलापों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत अप्रैल, 1974 में अनाजों के उपार्जन एवं वितरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख अभिकरण के रूप में निगमित हुई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य राज्य में अनाजों का उपार्जन, संग्रहण, परिवहन, वितरण एवं आवागमन की गतिविधियों को संचालन करना था। हालांकि कम्पनी केवल उपार्जन एवं वितरण का कार्य करती है और अनाजों के भण्डारण की सुविधा मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा मुहैया करायी जाती है, जो कि भण्डारण के लिए राज्य का प्रमुख अभिकरण है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान कम्पनी ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत अनाजों का वितरण किया। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय भोपाल में है साथ ही आठ क्षेत्रीय कार्यालय एवं 48 जिला कार्यालय है। वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान कम्पनी ने 343.55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ एवं 63.09 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

- वर्ष 2011–12 से 2014–15 के दौरान कम्पनी की बिक्री ₹ 8,438.71 करोड़ से बढ़कर ₹ 15,439.75 करोड़ हो गई। जबकि कम्पनी की लाभप्रदता जो वर्ष 2011–12 में ₹ 5.25 करोड़ थी वह वर्ष 2014–15 में ₹ 69.12 करोड़ की हानि में बदल गई।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति भारतीय खाद्य निगम, मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार से बकाया जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 1,977.10 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 4,848.28 करोड़ के मध्य थी, न वसूल हो पाने के कारण खराब हुयी। परिणामस्वरूप कम्पनी ने हानि को पूरा करने के लिये बैंक से उधारी का सहारा लिया जिससे उसकी वित्तीय लागत, जो कि वर्ष 2011–12 में ₹ 701.60 करोड से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,722.18 करोड़ हो गई थी।

(कंडिका 2.3.29)

- कम्पनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये मध्य प्रदेश शासन चरणबद्ध तरीके से कम्पनी को अतिरिक्त पूंजी प्रदाय कर सकती है या ब्याज मुक्त ऋण या सहायता अनुदान उपलब्ध या उपार्जन लागत का 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान कर सकती है जिससे ऋण कम हो सके तथा कम्पनी अपने क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चला सके।

(कंडिका 2.3.28)

- गेहूँ एवं धान के उपार्जन के लिए तय लक्ष्य वास्तविकता पर आधारित नहीं थे क्योंकि कम्पनी ने फसल उपज के अनुमान के सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा किये गये संशोधन को ध्यान में रखते हुये उपार्जन लक्ष्य को संशोधित नहीं किया था। जिसके वजह से लक्ष्य से ज्यादा उपार्जित धानों की मिलिंग नहीं हो सकी क्योंकि वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान राज्य में मिलिंग क्षमता पर्याप्त नहीं थी। परिणामस्वरूप धान स्टॉक के संचय एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण ₹ 114.40 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिकाएँ 2.3.10, 2.3.11 एवं 2.3.14)

- कम्पनी वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए उपार्जित मक्का जो कि क्षतिग्रस्त हो गयी थी, के एवज में भारतीय खाद्य निगम से भण्डारण शुल्क एवं ब्याज

के ₹ छः करोड़ का दावा करने में असफल रही। इसके अलावा क्षतिग्रस्त स्टॉक के निराकरण में देरी होने से ₹ 1.25 करोड़ का परिहार्य भण्डारण शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

(कंडिकाएँ 2.3.15 एवं 2.3.26)

- कम्पनी ने बारदानों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना अवास्तविक धान उपार्जन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये अधिक बारदानों का उपार्जन किया। परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान उधार ली गई राशि के अवरूद्ध होने के साथ साथ ₹ 176.01 करोड़ ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 2.3.18)

- कम्पनी ने भोपाल एवं उज्जैन क्षेत्र के लीड दरों में असामान्य अन्तर होने के बावजूद परिवहन हेतु ठेके देते समय मितव्ययता का ध्यान नहीं रखा। परिणामस्वरूप परिवहन व्यय के लिए उच्चतर दर से भुगतान करना पड़ा।

(कंडिका 2.3.21)

- कम्पनी, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के साथ स्वीकार्य भण्डारण हानियों के लिए मानक तय करने में असफल रही। परिणामस्वरूप भण्डारण कमी के दावों ₹ 103 करोड़ की वसूली मार्च 2016 तक नहीं हो पायी थी जो कि वर्ष 2013 से 2016 तक से सम्बन्धित है।

(कंडिका 2.3.25)

- कम्पनी में प्रबन्धन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कमी पायी गयी। इसके अलावा कम्पनी ने वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान उपर्जित अनाजों के मात्रानुसार उपार्जन के दौरान गुणवत्ता जॉच के लिए पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता नियंत्रक स्टाफ की नियुक्ति नहीं की।

(कंडिकाएँ 2.3.36 एवं 2.3.37)

3. लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय में सम्मिलित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियों को उजागर करती है जिसमे महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं। 15 मामलों में नियमों, निर्देशों, प्रक्रियाओं, नियमों और ठेके की नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं करने से ₹ 79.34 करोड़ की हानि हुई ।

लेखा परीक्षा टिप्पणियों का सार इस प्रकार हैं:

- मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड ने सड़क परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितता बरती और ठेकेदार को ₹ 7.07 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

(कंडिका 3.5)

- मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड ने आरटीई उत्पाद की उत्पादन लागत अन्तिमीकरण में रखे हुए बारदानों का प्राप्य मूल्य समायोजित न करके संयुक्त उपक्रम भागीदार को ₹ 5.68 करोड़ का अनुचित लाभ पँहुचाया।

(कंडिका 3.9)

- मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड, बुधनी को लाभ पहुंचाने के लिए विद्युत शुल्क में ₹ 3.12 करोड़ की अनुचित छूट दी।

(कंडिका 3.2)

- मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा नियम और शर्तों में परिवर्तन के कारण पूर्ण हुए पर्यटक मार्ग सुविधा केन्द्रों के पट्टा अनुबंध का निष्पादन न होने से ₹ 1.33 करोड़ की राजस्व हानि।

(कंडिका 3.1)

- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने ₹ 5.93 करोड़ कर्मकार कल्याण उपकार की कम वसूली की जिससे इस सीमा तक ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदाय हुआ।

(कंडिका 3.3)

- मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा रियायत अनुबंध और एस्क्रो खाते के अनुबंध के अप्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप रियायतग्राही से ₹ 4.56 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

(कंडिका 3.4)

- मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ने पारदर्शी बोली प्रक्रिया का पालन न करते हुए रहवासी आवासों के निर्माण का कार्य ₹ 26.13 करोड़ के उच्च दरों पर प्रदाय किया।

(कंडिका 3.14)

- मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड ने निविदा विशिष्टताओं में संशोधनों के कारण कम्पनी ने आयातित कोयले की खरीद में ₹ 16.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(कंडिका 3.15)

- इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (आईआईडीसी) लिमिटेड ने ₹ 3.88 करोड़ मूल्य भूमि के आवंटन में अनियमितता की जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 61.59 लाख राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 3.10)